

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
4 - सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून - 248001

फोन नं 0 (0135) - 2712055, 2713551
फैक्स नं 0 (0135) - 2712014, 2713724

संख्या- 115 /XXV-66(1-5) / 2009

देहरादून : दिनांक 12 फरवरी, 2015

सेवा में,

सचिव,
उत्तराखण्ड सूचना आयोग,
सूचना का अधिकार भवन,
लाडपुर, रिंग रोड, देहरादून।

विषय:- सूचना के अधिकार के अन्तर्गत मा० सूचना आयोग में प्रस्तुत अपील संख्या A(D)-16816/ 2014 के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या 1204 दिनांक 02 फरवरी, 2015 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसमें अपील संख्या A(D)-16816/ 2014 श्री रमेश चन्द्र शर्मा, प्रबंधक द्रस्टी, धर्मशाला माई गिंदा कुवंर बरेली द्रस्ट, सुभाष घाट, हरिद्वार द्वारा मा० सूचना आयोग में प्रस्तुत अपील संख्या A(D)-16816/ 2014 पर दिनांक 13.02.2015 को सुनवाई की तिथि निर्धारित की गयी है के क्रम में मा० आयोग को अवगत कराना है कि अपीलकर्ता के प्रथम अपील संबंधी पत्र दिनांक 31 अक्टूबर, 2014 के क्रम में कार्यालय के पत्र संख्या 1767 दिनांक 24 नवम्बर, 2014 के माध्यम से उनको अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में उपस्थित होने का अनुरोध किया गया था। उक्त तिथि पर अपीलकर्ता कार्यालय में उपस्थित नहीं हुये। तदनुसार कार्यालय के आदेश संख्या-07/ 2014, श्री रमेश चन्द्र शर्मा बनाम लोक सूचना अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय, उत्तराखण्ड के माध्यम से अपीलकर्ता की अपील का निस्तारण किया गया। उक्त क्रम में अनुभाग अधिकारी/ लोक सूचना अधिकारी, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा अपीलकर्ता को उनके मूल आवेदन पत्र दिनांक 30 सितम्बर, 2014 के बिन्दु संख्या 01 से 05 तक के माध्यम से अपेक्षित सूचनाये उपलब्ध कराते हुये, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों से संबंधित पत्र संख्या 4/ 2014/ SDR-Vol-1 दिनांक 25 अप्रैल, 2014 एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 125 के उद्धरणों की प्रति प्रेषित की गयी एवं बिन्दु संख्या 02 से 04 के क्रम में उनके शिकायती पत्रों को लोक सूचना अधिकारी के पत्र संख्या 1054 दिनांक 03 मई, 2014 के द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी, हरिद्वार को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया। (उक्त संदर्भ में लोक सूचना अधिकारी के पत्र संख्या 1815 दिनांक 09 दिसम्बर, 2014, विभागीय अपीलीय अधिकारी/ संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या 07/ 2014 दिनांक 06 दिसम्बर, 2014, एवं अपील पर सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि से संबंधित पत्र संख्या 1767 दिनांक 24 नवम्बर, 2014 की प्रतिलिपि मा० सूचना आयोग की सेवा में संलग्न कर सादर प्रेषित है।)

2. विभागीय अपीलीय अधिकारी की ओर से प्रकरण पर विभागीय आख्या सहित श्री दीपक सेमवाल, कनिष्ठ सहायक, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड को मा० आयोग के समक्ष विभागीय पक्ष प्रस्तुत करने हेतु प्रेषित भेजा जा रहा है।

उक्तानुसार विभागीय पक्ष मा० सूचना आयोग के संज्ञान में लाते हुए अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत अपील को निस्तारित करने का कष्ट करें। भवदीय,

(सौजन्या)

अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं विभागीय अपीलीय अधिकारी

पृ०संख्या— / XXV-66(1-5) / 2009, तददिनांकित।

प्रतिलिपि श्री दीपक सेमवाल, कनिष्ठ सहायक, को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वह निर्धारित तिथि व समय पर मा० सूचना आयोग में उपस्थित होते हुए उक्तानुसार विभागीय पक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

(सौजन्या)

अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं विभागीय अपीलीय अधिकारी

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
4 - सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून - 248001

फोन नं 0 (0135) - 2712055, 2713551
फैक्स नं 0 (0135) - 2712014, 2713724

संख्या- 115 /XXV-66(1-5)/2009

देहरादून : दिनांक 12 फरवरी, 2015

सेवा में,

सचिव,
उत्तराखण्ड सूचना आयोग,
सूचना का अधिकार भवन,
लाडपुर, रिंग रोड, देहरादून।

विषय:- सूचना के अधिकार के अन्तर्गत मा० सूचना आयोग में प्रस्तुत अपील संख्या A(D)-16816/ 2014 के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या 1204 दिनांक 02 फरवरी, 2015 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसमें अपील संख्या A(D)-16816/ 2014 श्री रमेश चन्द्र शर्मा, प्रबंधक ट्रस्टी, धर्मशाला माई गिंदा कुवं बरेली ट्रस्ट, सुभाष घाट, हरिद्वार द्वारा मा० सूचना आयोग में प्रस्तुत अपील संख्या A(D)-16816/ 2014 पर दिनांक 13.02.2015 को सुनवाई की तिथि निर्धारित की गयी है के क्रम में मा० आयोग को अवगत कराना है कि अपीलकर्ता के प्रथम अपील संबंधी पत्र दिनांक 31 अक्टूबर, 2014 के क्रम में कार्यालय के पत्र संख्या 1767 दिनांक 24 नवम्बर, 2014 के माध्यम से उनको अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में उपस्थित होने का अनुरोध किया गया था। उक्त तिथि पर अपीलकर्ता कार्यालय में उपस्थित नहीं हुये। तदनुसार कार्यालय के आदेश संख्या-07/2014, श्री रमेश चन्द्र शर्मा बनाम लोक सूचना अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय, उत्तराखण्ड के माध्यम से अपीलकर्ता की अपील का निस्तारण किया गया। उक्त क्रम में अनुभाग अधिकारी/लोक सूचना अधिकारी, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा अपीलकर्ता को उनके मूल आवेदन पत्र दिनांक 30 सितम्बर, 2014 के बिन्दु संख्या 01 से 05 तक के माध्यम से अपेक्षित सूचनाये उपलब्ध कराते हुये, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों से संबंधित पत्र संख्या 4/2014/SDR-Vol-1 दिनांक 25 अप्रैल, 2014 एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 125 के उद्धरणों की प्रति प्रेषित की गयी एवं बिन्दु संख्या 02 से 04 के क्रम में उनके शिकायती पत्रों को लोक सूचना अधिकारी के पत्र संख्या 1054 दिनांक 03 मई, 2014 के द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी, हरिद्वार को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया। (उक्त संदर्भ में लोक सूचना अधिकारी के पत्र संख्या 1815 दिनांक 09 दिसम्बर, 2014, विभागीय अपीलीय अधिकारी/संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या 07/2014 दिनांक 06 दिसम्बर, 2014, एवं अपील पर सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि से संबंधित पत्र संख्या 1767 दिनांक 24 नवम्बर, 2014 की प्रतिलिपि मा० सूचना आयोग की सेवा में संलग्न कर सादर प्रेषित है।)

2. विभागीय अपीलीय अधिकारी की ओर से प्रकरण पर विभागीय आख्या सहित श्री दीपक सेमवाल, कनिष्ठ सहायक, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड को मा० आयोग के समक्ष विभागीय पक्ष प्रस्तुत करने हेतु प्रेषित भेजा जा रहा है।

उक्तानुसार विभागीय पक्ष मा० सूचना आयोग के संज्ञान में लाते हुए अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत अपील को निस्तारित करने का कष्ट करें। भवदीय,

(सौजन्या)

अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं विभागीय अपीलीय अधिकारी
राम

पृ०संख्या- 115 /XXV-66(1-5)/2009, तददिनांकित।

प्रतिलिपि श्री दीपक सेमवाल, कनिष्ठ सहायक, को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वह निर्धारित तिथि व समय पर मा० सूचना आयोग में उपस्थित होते हुए उक्तानुसार विभागीय पक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

(सौजन्या)

अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं विभागीय अपीलीय अधिकारी
राम

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
4 - सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून - 248001

फोन नं 0 (0135) - 2712055, 2713551
फैक्स नं 0 (0135) - 2712014, 2713724

संख्या- 116 /XXV-66(1-5) /2009

देहरादून : दिनांक 12 फरवरी, 2015

सेवा में,

सचिव,
उत्तराखण्ड सूचना आयोग,
सूचना का अधिकार भवन,
लाडपुर, रिंग रोड, देहरादून।

विषय:- सूचना के अधिकार के अन्तर्गत मा० सूचना आयोग में प्रस्तुत अपील संख्या A(D)-16816/ 2014 के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या 1204 दिनांक 02 फरवरी, 2015 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसमें अपील संख्या A(D)-16816/ 2014 श्री रमेश चन्द्र शर्मा, प्रबंधक ट्रस्टी, धर्मशाला माई गिंदा कुवं बरेली ट्रस्ट, सुभाष घाट, हरिद्वार द्वारा मा० सूचना आयोग में प्रस्तुत अपील संख्या A(D)-16816/ 2014 पर दिनांक 13.02.2015 को सुनवाई की तिथि निर्धारित की गयी है, के क्रम में मा० आयोग को अवगत कराना है कि अपीलकर्ता को कार्यालय के आदेश संख्या-07/ 2014, श्री रमेश चन्द्र शर्मा बनाम लोक सूचना अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय, उत्तराखण्ड के माध्यम से अपीलकर्ता की अपील का निस्तारण किया गया, जिसमें विभागीय अपीलीय अधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया कि अपीलकर्ता को उनके द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध करना सुनिश्चित करें। उक्त क्रम में अनुभाग अधिकारी/ लोक सूचना अधिकारी, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा अपीलकर्ता को उनके मूल आवेदन पत्र दिनांक 30 सितम्बर, 2014 के बिन्दु संख्या 01 से 05 तक के माध्यम से अपेक्षित सूचनाये उपलब्ध कराते हुये, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों से संबंधित पत्र संख्या 4/2014/ SDR-Vol-1 दिनांक 25 अप्रैल, 2014 एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 125 के उद्धरणों की प्रति प्रेषित की गयी एवं बिन्दु संख्या 02 से 04 के क्रम में उनके शिकायती पत्रों को लोक सूचना अधिकारी के पत्र संख्या 1054 दिनांक 03 मई, 2014 के द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी, हरिद्वार को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया। (उक्त संदर्भ में लोक सूचना अधिकारी के पत्र संख्या 1815 दिनांक 09 दिसम्बर, 2014, की प्रतिलिपि मा० सूचना आयोग की सेवा में संलग्न कर सादर प्रेषित किया जा रहा है।)

2. महोदय अधोहस्ताक्षरी अपने किसी निकट सम्बन्धी के विवाहोत्सव में सम्मिलित होने के कारण मा० आयोग में उपस्थित होने से असमर्थ हूं अतएव लोक सूचना अधिकारी की ओर से प्रकरण पर विभागीय आख्या सहित श्री दीपक सेमवाल, कनिष्ठ सहायक, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड को मा० आयोग के समक्ष विभागीय पक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

उक्तानुसार विभागीय पक्ष मा० सूचना आयोग के संज्ञान में लाते हुए अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत अपील को निस्तारित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(मस्तू दास)

अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी
मा०